Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 13/June/2023 IJRAW: 2023; 2(7):132-133 Accepted: 22/July/2023

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एवं लाभ

*[1]डॉ0 विनिता गौतम

*[1]सहायक प्राध्यापकए विभाग वाणिज्य, लक्ष्मण प्रसाद वैद्य शास. कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, छत्तीसगढ, भारत।

सारांश

जी.एस.टी. का पंजीकरण आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है। जी.एस.टी. पोर्टल पर जी.एस.टी. पंजीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। माल की आपूर्तिकर्ता के लिए 40 लाख और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के लिए 20 लाख इसके साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में 20 लाख से 40 लाख के बीच चयन करने के लिए विकल्प निर्धारित किया गया है। जीण्एसण्टीण् इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हैद्य क्योंकि यह सभी टैक्स को एक ही छत के नीचे लाने मे कामयाब रहा हैद्य यह अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वस्तुओ एवं सेवाओ मे विश्वाश पैदा हुआ हैद्य जीण्एसण्टीण् अंतिम कराधान योजना हैद्य इसमे अंतिम उपभोक्ता को ही भुगतान करना पड़ता है।

मुख्य शब्दः जी.एस.टी. आपूतिकर्ता पंजीयन प्रक्रिया व्यवसायी उत्तरदायी, इलेक्ट्रानिक, कृषक, सरकार कर, ऐच्छिक आदि।

प्रस्तावना

1. **पंजीयन की प्रक्रियाः** धारा–25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो माल एवं सेवाकर अधिनियम जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीयन कराने के लिए उत्तरदायी होगा। पंजीयन प्रक्रिया के लिए 30 दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनीवार्य है। प्रत्येक व्यवसायी जो इस श्रेणी में आता है अपना पंजीयन करवायेगा।
2. जी.एस.टी. का पंजीयन ब्। या फिर प्दबवउम ज्ंग देखने वाले अधिवक्ता के माध्यम से भी पंजीयन कराया जा सकता है।
3. जी.एस.टी. की पंजीयन की प्रक्रिया सरल होती है इसके लिए व्यक्ति की अपना नाम पता एवं अन्य आवाष्यक जानकारी देना होता है।

4. पंजीयन के प्रकार

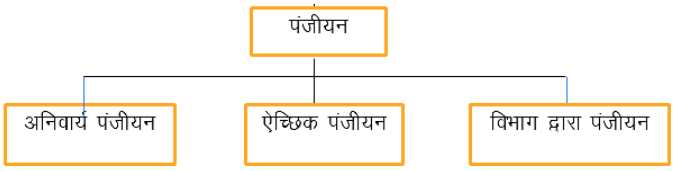

चित्र 1: जीएसटी पंजीकरण के प्रकार

अनिवार्य पंजीयन

प्रत्येक पूर्तिकर्ता जिसका सकल वार्षिक टर्न ओवर 40 लाख रूपये से अधिक है। विशेष राज्य की दशा में 20 लाख से अधिक है। उसे उस राज्य/संघ में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

ऐच्छिक पंजीयन

1. ऐसा व्यक्ति जो अनिवार्य पंजीयन के श्रेणी में नही आता वह अपना ऐच्छिक पंजीयन करा सकता है जी.एस.टी. विधान के सभी प्रावधन ऐसे व्यक्ति पर पंजीयन के पश्चात लागू होगा।
2. ऐसा ऐच्छिक व्यक्ति यदि पंजीयन के दिनांक से 6 माह के भीतर व्यवसाय प्रारंभ नही करता है। तो उसका पंजीयन निरस्त कर दीया जा सकता है।

विभाग द्वारा पंजीयन

यदि पंजीयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपना पंजीयन कराने में असफल रहता है। उस स्थिति में समूचित अधिकारी उस व्यक्ति का पंजीयन प्रारम्भ कर सकता है।

5. अनिवार्य पंजीयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

धारा–24 के अनुसारः सामान्य तौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए 20 लाख रूपये से अधिक सकल टर्न ओवर वाले उत्पादक, व्यापारी, या सेवा प्रदाता पंजीयन कराने के उत्तरदायी होते है। लेकिन धारा–24 के अनुसार आपूर्तिकर्ता जिसका सकल टर्न ओवर 40 लाख रूपये से अधिक है। पंजीयन कराने का उत्तरदायी होगा। इसके अन्तर्गत शामिल हैः–

1. अन्य राज्यो को माल की पूर्तिकर्ता
2. आकास्मिक या अस्थायी कर योग्य व्यक्ति
3. इलेक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर
4. अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
5. एजेन्ट के रूप में कार्यरत व्यक्ति

***Corresponding Author:** डॉ0 विनिता गौतम

6. व्यक्ति जो पंजीयन के लिए उत्तरदायी नही है

धारा–23 के अनुसारः निम्न व्यक्ति जिनका सकल टर्न ओवर माल की दषा में 40 लाख तथा सेवाओं की दषा में 20 लाख रूपये से अधिक नही पंजीयन कराने के उत्तरदायी नही है।

1. करमुक्त माल या करमुक्त सेवाओं के पूर्तिकर्ता।
2. कृषक द्वारा उपज की पूर्ति।
3. सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से छुट प्रदान किया गया व्यक्ति (व्यापारी)

7. पंजीयन के लिए आपेक्षित सूचनाएं

1. PAN संख्या
2. मान्य भारतीय मोबाइल संख्या
3. ई. मेल का पता
4. भारत स्थित बैंक खाता संख्या
5. व्यवसाय के स्थान का पता
6. अपेक्षित सूचनाएं एवं प्रपत्र
7. न्याय क्षेत्रिय विवरण
8. अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन

8. जी.एस.टी. पंजीयन के लिए आवेदन

1. जी.एस.टी. पंजीयन के लिए आवेदन व्यवसाय प्रारंभ करने के 30 दिन के भीतर देना होता है।
2. अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाला व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करने के 5 दिवस के पूर्व भी अपना पंजीयन करा सकता है।

9. पंजीयन में संषोधन

1. जी.एस.टी. अधिनियम की धारा–28 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति पंजीयन कराने के समय या बाद में दी गई जानकारी में संशोधन करवा सकता है।
2. समुचित अधिकारी पंजीयन में संशोधन स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
3. पंजीकृत व्यक्ति संशोधन कराने हेतू 15 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। साथ में आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।

10. पंजीयन का निरस्तीकरण

जे.एस.टी. की धारा–29 के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति का पंजीयन दो दशाओं में निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

1. पंजीकृत व्यक्ति के आवेदन पर
2. व्यवसाय बंद होने पर
3. स्वामी की मृत्यु हो जाने पर
4. व्यापार की संरचना में परिवर्तन हो जाने पर

11. संक्षम अधिकारी द्वारा पंजीयन निरस्त

सक्षम अधिकारी निम्न दशाओं में पंजीयन निरस्त कर सकता है।

1. पंजीकृत व्यक्ति घोषित स्थान पर कारोबार का संचालन नही करता है।
2. नियमों का उलंघन करके सेवाओं के पूर्ति किये बिना बिल जारी करता है।
3. यदि कर योग्य व्यक्ति लगातार 6 माह तक रिटर्न प्रस्तुत नही करता है।
4. पंजीयन के 6 माह के भीतर व्यवसाय प्रारंभ नही करता है। तब।
5. यदि पंजीयन कपट पूर्वक या तथ्य छुपाकर किया गया हो।

12. निष्कर्ष

जी.एस.टी. के अन्तर्गत माल पूर्तिकर्ता को पंजीयन करवाना पड़ता है। समय सीमा के भीतर पंजीयन नही कराने पर माल के लागत के अनुसार 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक जुर्माना भरने का प्रावधान बनाया गया है इस प्रकार पंजीयन का प्रावधान लागू करने में सरकार को दी जाने वाली कर को चोरी करने से रोका जा सकता है। जिससे देश का अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा इससे व्यापार 100 प्रतिशत माल और सेवा कर के अनुरूप हो जाता है। छोटे व्यापारियों का लम्बी करधन सेवाओं से बचने में मदद करता है। इससे भ्रष्टाचार और बिना रसीद के बिक्री को कम किया जा सकता है।

References

1. GST Registration Guide by Profit Books.
2. Abhishek N, Prof. Subbappa Kaikamba, Divyashree MS. "An Analysis of Future Road Map of Goods and Services Tax in Indian Scenario", *IOSR Journal of Business and Management* (IOSR-JBM), 2019.
3. Pallavi Kapila. "GST: Impact on Indian Economy", *International Journal of Engineering Research and Application*, 2018.
4. Prof. Pooja S. Kawle, Prof. Yogesh L. Aher "GST: An Economic Overview: Challenges and Impact Ahead", *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 2017.
5. https://www.bankbazaar.com/tax/gst-registration.html
6. Dr. (Smt.) Rajeshwari M. Shettar. "Registration Process in Goods and Services Tax: A Study." *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, (239), 2021, 16-21.